तारिख हुक्म	
8.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेगू जवाब प्रा.पत्र पेश करने का अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है। प्रा.पत्र मे दिनांक 20.11.25 को पत्रावली वास्ते जवाब पेश हो।
20.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश किया प्रति वकील प्रार्थी को दि गई पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र मे दिनांक 9.12.25 को पेश हो।
9.12.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 29.12.25 को पेश हो।
29.12.26	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया ... अब पत्रावली अनुसार दिनांक 13.1.26 को पेश की जावे
13.1.26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः मजीद बहस सुनी गई प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 06 / 2025

कृष्णादेवी पुत्री छोटूलाल नाथ
निवासी रामपुरिया तह0 बेंगू
हाल मुकाम कोटा (राज0)

बनाम

ईश्वरलाल पिता छोटूलाल नाथ
निवासी रामपुरिया तह0 बेंगू

उपस्थित ::– मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 13.01.2026

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
13.01.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा कंथारिया प0ह0 रामपुरिया मे प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात खाता संख्या 36 आराजी संख्या 376 / 256 कुल किता –1 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि मे प्रार्थीया के पिता छोटूलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम ''कृष्णा देवी'' के बजाय कमली गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीया को राजकिय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थीया के जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, पैनकार्ड मतदाता परिचय पत्र, आदि में प्रार्थीया का नाम ''कृष्णादेवी'' अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा कंथारिया प0ह0 रामपुरिया मे प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात खाता संख्या 36 आराजी संख्या 376 / 256 कुल किता –1 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि मे प्रार्थीया का नाम ''कृष्णा देवी'' अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पिता छोटूलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय नामांतरण संख्या 280 दायर किया जाकर दिनांक 22.06.1998 को निर्णित हुआ जिसमे छोटूलाल के वारिसान ईश्वरलाल, मांगी पार्वती, काली पिता छोटूलाल गुलाबीबाई पत्नि स्व0 छोटूलाल के नाम नामांतरण दर्ज किया गया। आगमी जमांबदी रोटेशन सम्वत 2058–61 म काली के बजाय कमली सहवन से कर दिया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। अतः प्रार्थीया का यह कथन की नामांतरण मे कृष्णादेवी के बजाय कमली कर दिया गया असत्य एवं निराधार है। वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड अनुसार नाम काली नही होकर कमली है। सरकारी दस्तावेजो से कमली ही कृष्णादेवी है यह प्रमाणित नही होता है। अतः प्रार्थीया का प्रा. पत्र खारिज किया जावे । प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्याान पूर्वक सुनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज सिर्फ नकल आधार कार्ड व नकल जनआधार कार्ड की छाया प्रति का अवलोकन किया गया उक्त दस्तावेजो मे कृष्णादेवी मिश्रा पति किशन गोपाल मिश्रा निवासी नया गॉव ऑमली रोड कोटा राज. है इन दस्तावेज के अलावा प्रकरण मे काई और दस्तावेज प्रस्तुत नही है जिससे ये सिद्व हो सके कि कृष्णादेवी ही कमली है। पैरोकार सरकार तहसीलदार बेंगू कि बहस से हम सहमत है। प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार करने योग्य प्रतित नही होता है । अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया । (अंकित सामरिया) उपखण्डअधिकारी, बेगूं जिला चितौडगढ़	